### भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] No. 60] दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2012/चैत्र 13, 1934 DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2012/CHAITRA 13, 1934 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 1 [N.C.T.D. No. 1

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सार्वजनिक सूचना

दिल्ली, 2 अप्रैल, 2012

सं. फा. 2(1)/2006/डीबीसीपी/01-08.—दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 4) की धारा 37 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् नियम, 2000 को पुनः संशोधित करने के लिये, नियमों का निम्निलिखित प्रस्तावित प्रारूप, इनसे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की सूचना हेतु प्रकाशित करते हैं । एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि वर्णित प्रारूप नियमों पर, उस तिथि से, जब इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतिलिपियाँ जनसाधारण को उपलब्ध होंगी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद, इस निर्धारित अवधि के भीतर जो सुझाव या आपित्तयाँ प्राप्त होंगी, उनके सहित विचार किया जायेगा ।

इस सम्बन्ध में आपत्तियाँ/सुझाव अध्यक्ष, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद्, सी.एस.सी. तृतीय, प्रथम तल, डी.डी.ए, मार्किट, बी-ब्लॉक, फ्रीत विहार, दिल्ली-110092 को पहुँच जाने चाहिएं:-

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियम, 2012 कहा जाए।
  - (2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. नियम 9 का संशोधन,—दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् नियम, 2000 के नियम 9 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—
  - "(1) (a) रिजस्ट्रार का पद स्थायी होगा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में विरष्ठ चिकित्सा अधिकारी के मूल वेतनमान के समान मूल वेतनमान में होगा । रिजस्ट्रार परिषद् का पूर्णकालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद् की अनुमित बिना अन्य कार्य नहीं करेगा । रिजस्ट्रार के कार्यालय में स्पष्ट रिक्ति पर नियुक्ति होने पर कोई व्यक्ति अपनी प्रथम नियुक्ति पर एक वर्ष की परीवीक्षा पर होगा ।
    - (b) परिषद् रिजस्ट्रार की नियुक्ति करेगी तथा रिजस्ट्रार परिषद् की अन्य सभी नियुक्तियों के लिए नियुक्ति अधिकारी होगा ।

(c) परिषद् द्वारा रिजस्ट्रार का पद, सीधी भर्ती द्वारा, अर्ह अभ्यर्थियों, जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में सम्मिलत भारतीय चिकित्सा पद्धित की न्यूनतम स्नातक योग्यता रखते हों, दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत हों, स्नातक के उपरान्त सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र अथवा प्रैक्टिस का न्यूनतम सात वर्षों का अनुभव रखते हों, आवेदन की तिथि को जिनकी आयु चालीस वर्ष से अधिक न हो, में से भरा जायेगा । भारतीय चिकित्सा पद्धित की किसी राज्य/केन्द्रीय परिषद् में न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्रथमिकता दी जायेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रवीन वर्मा, उप-सचिव (स्वास्थ्य)

# DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

#### **PUBLIC NOTICE**

Delhi, the 2nd April, 2012

No. F. 2(1)/2006/DBCP/01-08.—The following draft of rules further to amend the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Rules, 2000, which the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi proposes to make in exercise of power conferred by Section 37(2) of the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1999) is hereby published for the information of the persons likely to be affected thereby, and a notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing this notification are made available to the public together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto by the stipulated period.

The objections/suggestions in this behalf should be reached to the President, Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad, CSC-III, Ist Floor, DDA Market, B-Block, Preet Vihar, Delhi-110092.

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad (Amendment) Rules, 2012.
- (2) They shall come in to force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Amend of Rule 9.—In the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Rules, 2000 in rule 9 for sub-rule (1), the following rule shall be substituted, namely:—
  - "(1) (a) The post of Registrar shall be permanent and shall be in the basic pay scale equivalent to

the basic pay scale of Senior Medical Officer in Government of National Capital Territory of Delhi. The Registrar shall be a full time Chief Executive Officer of the Parishad and shall not do any other work except with the permission of the Parishad. Any person on his first appointment to a clear vacancy in the office of Registrar shall be on probation of one year.

- (b) The Parishad shall appoint the Registrar and the Registrar shall be the appointing authority for all other appointments in the Parishad.
- The post of Registrar shall be filled up by the Parishad through direct recruitment from amongst suitable candidates having minimum qualification of graduation in Indian Systems of Medicine included in the Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970, duly registered with the Delhi Bharatiya. Chikitsa Parishad, with minimum of seven years experience after graduation in Government/Public Sector/Private Sector or Practice, and with maximum age limit not exceeding forty years on the date of application. Candidates with minimum two years working experience in any State/Central Council of Indian Systems of Medicine shall be given preference."

By Order and in the Name of the Lt. Governor, of National Capital Territory of Delhi,

PRAVEEN VERMA, Dy. Secy. (Health)

### राजस्व विभाग

## अधिसूचनाएं

दिल्ली, 2 अप्रैल, 2012

सं. एफ. 7/( 13 )/रा.स्थ./स.र./जी.ए./97/पी.एफ-I/ 516.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं 78 दिनांक 21-2-2012 के संदर्भ में श्री योगेश पाल सिंह, ग्रेड-I (दास) ने दिनांक 24-2-2012 (पूर्वाह्न) को तहसीलदार (कोतवाली) जिला — उत्तर का कार्यभार संभाल लिया है, अत::—

1. सं. 7/(13)/रा. स्थ./स.र./97/(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं. 17), द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री योगेश पाल सिंह, ग्रेड-I (दास) को जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शिक्तयां प्रदान करते हैं।

2. सं. 7/( 13 )/रा. स्थ./स.र./97/( ii ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की